राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 19(2292) परि./लेखा/आं.जां. /2012 जयपुर, दिनांकः– 26/7/2012

कार्यालय आदेश 15/2012

विभाग द्वारा कार्यालय आदेश 50/2002 दिनांक 23.10.2002,11/2005 दिनांक 15.02.2005, 3/2010 दिनांक 20.01.2010 एवं समय–समय पर जारी कार्यालय आदेशो के द्वारा सामान्य सूची पंजिकाओं एवं कर खातों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। इसके बावजूद भी प्रायः यह देखने में आया है कि सभी प्रकार के संविदा, मंजिली यात्री वाहनों, टैक्सी वाहनो एवं भार वाहनों इत्यादि के सामान्य सूची पंजिका तथा कर खाते पूर्ण संधारित नही पाये जाते है जिसके कारण महालेखाकार/आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों में आक्षेपो की संख्या लगातार बढ रही है जो चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा के समय भी वाहनों की वास्तविक स्थिति नही बतायी जाती एवं इसके पश्चात् वाहनों के विरूद्व बकाया राशि की समय पर वसूली नही करना एवं बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना तैयार कर प्रस्तुत नही करने से वाहनों के खुर्द–बुर्द होने की संभावना रहती है जिससे एक ओर राज्य सरकार को राजस्व हानि की संभावना रहती है दूसरी ओर अंकेक्षण आक्षेपों में भी वृद्वि होती है।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सख्ती से कराते हुए सभी प्रकार के संविदा, मंजिली यात्री वाहनों, टैक्सी वाहनों एवं भार वाहनों इत्यादि के सामान्य सूची पंजिका तथा कर खातों का पूर्ण संधारण सुनिश्चित करावें। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने रीजन के अधीनस्थ कार्यालयों में नियंत्रण हेतु सामयिक निरीक्षण के दौरान इस तथ्य का उल्लेख करेगें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त कर खाते पूर्ण रूप से संधारित कर लिये गये है, का प्रमाण पत्र मुख्यालय को आवश्यक रूप से (30 अप्रेल तक) प्रेषित करेंगे। साथ ही कर खातों के संधारण में यदि कोई कमी पाई जावे तो सम्बन्धित कार्मिक का उतरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे।

आदशो की पालना कड़ाई से की जावे।

(दीपक उप्रेती)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव
O/C

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव , परिवहन आयुक्त, राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सहायक , वितीय सलाहकार।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारीगण।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारीगण।
7. समस्त सहायक लेखाधिकारी, आंतरिक जांच दल।
8. निजी सहायक , वितीय सलाहकार।
9. रक्षित पत्रावली।

26/7/12
(सुरेश सिंघल)
वित्तीय सलाहकार
O/C A